न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 12/2022 तारीख रजू :– 18.01.2022

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

1. सुगरसिंह दत्तक पुत्र धन्नी
2. रामवीर पुत्र प्रभु
3. केशन्ती
4. गुड्डी
5. ममता
6. माया
7. विलादेवी पत्नि प्रभु

(3 से 6) पुत्रीया प्रभु

जाति गुर्जर

निवासी निसूरा

तह0 टोडाभीम,

जिला करौली राज0

सायलान

बनाम

1. जनक पुत्र प्रभु जाति गूर्जर निवासी निसूरा तह0 टोडाभीम, जिला करौली राज0
2. तहसीलदार टोडाभीम, तह0 टोडाभीम, जिला करौली राज0
3. नायब तहसीलदार सव तहसील बालघाट जिला करौली राज0
4. उप पंजीयक टोडाभीम, तह0 टोडाभीम, जिला करौली राज0
5. उप पंजीयक बालघाट सव तहसील बालघाट जिला करौली राज0

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

2 अभिभाषक अप्रार्थी की ओर :– हंसराम गुर्जर एडवोकेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:08 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक :– 29/07/2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खाता नं0 581 जमाबन्दी सम्वत 2074 लगायत 2077 के ख0नं0 1980/0.01, 2075/0.18, 2089/0.24, 2447/0.44, 2457/0.52, 2469/0.01, 2470/0.49, 2482/0.47, 2527/0.50, 2527/4097/0.10, 3530/0.49,

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली.

3531/0.82, 58/0.11, 65/0.10, 88/0.18 कुल किता 15 कुल रकवा 4.66 है0 ग्राम निसूरा तहसील टोडाभीम में स्थिति है। उक्त आराजी में सायल नं0 1 वहिस्सा 1/1 व सायलान 2 ता 7 प्रत्येक बहिस्सा 1/14 गैरसायल नं0 1 बहिस्सा 1/14 खातेदार काश्तकार है। आराजी खाता संख्या 204 जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के ख0नं0 2481/0.16, 2709/0.53 कुल किता 2 कुल रकवा 0.69 है0 ग्राम निसूरा तहसील टोडाभीम में स्थित है। उक्त आराजी में सायलान 2 ता 7 प्रत्येक बहिस्सा 1/7 गैरसायल नं0 1 बहिस्सा 1/7 खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी का वाहमी बंटवारा हो रहा है तथा सायलान तथा गैरसायल नं0 1 अपने अपने हिससे पर काबिज एवं दखील है तथा कौन कौन किस खसरा नं0 पर काबिज है पता नहीं है आये दिन डौल मेढ को लेकर विवाद बना रहता है। गैरसायल लठैत, मुठमर्द, गिरोहबंद, पैसे वाले व राजनैतिक पहुँच रखने महत्वाकाशी व्यक्ति है जो लट्ठ के बल पर गरीब व असहाय व्यक्तियों की जमीन जायजाद पर कब्जा करता रहता है तथा गैरसायल नं0 1 अपने हिस्से 1/14 का काबिज एवं दखील था लेकिन गैरसायल नं0 1 द्वारा ख0नं0 2527/0.50, 2527/4097/0.10 ग्राम निसूरा को सालय नं0 1 को बेचान कर कब्जा सायल नं0 1 को सम्भला दिया बिना कब्जे की आराजी ख0नं0 2470 जो सायल नं0 2 के कब्जे में था उसे गैरसायल नं0 1 द्वारा बिना कब्जे दिये अनरजिस्टर्ड बेचान कर दिया

बांका दिनांक 09.11.2021 को सुबह करीब 9 बजे का है कि गैरसायल अपने साथ कुछ लोगों को साथ लेकर आया तथा आराजी खसरा नम्बर 2527/0.50, 2527/4097/0.10 की नाप तोल कराने लगा। सायलान के पूछने पर कहने लगा मैं इस जमीन को बेच रहा हूँ इस पर सायलान ने उन्हें समझाया कि भाई हमने क्या बुरा किया उक्त आराजी हमारे हिस्से में है। तुमने इसे पूर्व में ही बेच दिया तथा उक्त हिस्से के पैसे भी हमसे प्राप्त कर लिये है इतना सुनते ही गैरसायल नाराज हो गये तथा कहने लगा कि मेरे पास तुमसे कम जमीन है इसलिये मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा करूँगा तथा तुमको काश्त नहीं करने दूंगा तथा तुमने कोई कानूनी कार्यवाही की तो लट्ठ वाले व्यक्ति को बेचान कर दूंगा। इस पर वादीगण द्वारा बंटवारे के लिये कहा कि पहले बंटवारा करा दे फिर तुम्हारी मर्जी हो जो करना इतना सुनते ही गैरसायल नाराज हो गया तथा बटवारा कराने से साफ इन्कार हो गया तथा कहा कि ना तो मैं बंटवारा कराऐगा ना ही तुमको काश्त करने दूंगा। इस प्रकार गैरसायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

अपनी इस कानूनी कुचेष्टा में कायमयाब हो गया तथा सालान को बेदखल कर कब्जा कर लिया तथा आराजी का बेचान कर दिया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। प्राईमा फेसी केश सायलान के पक्ष में है। सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायल को कोई क्षति नहीं है। अतः गैरसायलान को ताफैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजीयात ख0नं0 1980/0.01, 2075/0.18, 2089/0.24, 2447/0.44, 2457/0.52, 2469/0.01, 2470/0.49, 2482/0.47, 2527/0.50, 2527/4097/0.10, 3530/0.49, 3531/0.82, 58/0.11, 65/0.10, 88/0.10 कुल किता 15 कुल रकवा 4.66 है0 एवं खसरा नम्बर 2481/0.16, 2709/0.53 कुल किता 2 कुल रकवा 0.69 है0 ग्राम निसूरा तहसील टोडाभीम में स्थित सायलान के हिस्से व कब्जे में मजाहमत मदाखलत नहीं करे, सायलान को बेदखल नहीं कर स्वंय कब्जा नहीं करे आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करे, आराजी को रहन वय नहीं करे आराजी में निर्माण नहीं करे ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे, जिससे हकूक सायलान पर प्रतिकूल प्रभाव पडे मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से अधिवक्ता ने हिदायत पैरवी नहीं करने का कथन कहा तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। अप्रार्थी को कोर्ट नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी नं0 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:08 IST
Reason: SelfAttested

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः—** प्रार्थना पत्र मे वर्णि[illegible] पत्रावली मे शामिल ग्राम निसूरा की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 [illegible] आरा[illegible]यात ख0नं0 1980/0.01, 2075/0.18, 2089/0.24, 2447/0.44, 2457/[illegible] 2469/0.01, 2470/0.49, 2482/0.47, 2527/0.5[illegible] 2527/4097[illegible] 3530/0.49, 3531/0.82, 58/0.11, 65/0.10, 88/0.10 कुल किता 15 [illegible]ल रकवा 4.66 है0 एवं खसरा नम्बर 2481/0.16, 2709/0.53 कुल किता 2 कुल रकवा 0.69 है0 मे सायलान एवं गैरसायल नं0 1 सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन सालयान के पक्ष मे साबित है।

3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि गैरसायल नं0 1 को पाबन्द नही किया जाता है तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

गैरसायलान को ता दावा फैसला पावंन्द किया जाता है कि वे ग्राम निसूरा की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के आराजीयात ख0नं0 1980/0.01, 2075/0.18, 2089/0.24, 2447/0.44, 2457/0.52, 2469/0.01, 2470/0.49, 2482/0.47, 2527/0.50, 2527/4097/0.10, 3530/0.49, 3531/0.82, 58/0.11, 65/0.10, 88/0.10 कुल किता 15 कुल रकवा 4.66 है0 एवं खसरा नम्बर 2481/0.16, 2709/0.53 कुल किता 2 कुल रकवा 0.69 है0 में सायलान के हिस्से में दर्ज भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करे व रिकार्ड में दर्ज हिस्से से ज्यादा भूमि को रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड बेचान नहीं करे। न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2022 को दिये गये आदेश ता फैसला कन्फर्म किया जाता है

निर्णय आज दिनांक 29/07/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:08 IST
Reason: SelfAttested